

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)अलेसे III लिंक न. 8909 / 894

दिनांक :- 12.01.2017

कार्यालय आदेश

अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग(एक्स काडर), जयपुर - [1000344] के आदेश क्रमांक 4476 दिनांक 06/01/2017 द्वारा श्री/श्रीमती/सुश्री कमलेश कुमार शर्मा [लिंक न. 8909] कनिष्ठ लेखाकार को कार्यमुक्त कर इस निदेशालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिये जाने के क्रम में श्री कमलेश कुमार शर्मा ने इस निदेशालय में दिनांक 09/01/2017 को उपस्थिति प्रस्तुत की है। उन्हें दिनांक 09/01/2017 से आदेशों की प्रतीक्षा में लेते हुए निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर - [904] में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

वे उक्त कार्यालय/ विभाग में उपलब्ध रिक्त पद का नियमित कार्य अग्रिम आदेशों तक संपादित करेंगे।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक :- F4(ई)अलेसे III लिंक न. 8909 / 894

दिनांक :- 12.01.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
2. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग(एक्स काडर), जयपुर
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर
4. कोषाधिकारी जयपुर
5. श्री/श्रीमती/सुश्री कमलेश कुमार शर्मा [8909] कनिष्ठ लेखाकार, निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)